कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 151/ 2020 दिनांक: अगस्त, 24/2020

प्रेस नोट

थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.08.20 को 03 शातिर लुटेरे/अपराधी धर्मराज, अजय, महेश को गिरफ्तार कर कब्जे से लूट का एक अदद मंगलसूत्र, उसमें लगा सोने का पैंडेंट (कीमत लगभग 1 लाख रूपये), बिक्री के 25,500/- रू नगद व लूट की घटना में प्रयुक्त मो0सा0 अपाचे बरामद की गई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी व पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद वाराणसी द्वारा चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन व व्यक्तियों की चेकिंग तथा वाछित अभियुक्तो की गिरफतारी किये जाने के अभियान के तहत क्षेत्राधिकारी सदर के दिशा-निर्देशन में दिनांक 21/8/2020 को एक व्यक्ति ने सूचना दिया कि उनकी पत्नी तीज व्रत मे शिवमन्दिर से दर्शन करके लौट रही थी कि दो व्यक्ति सफेद रंग की अपाचे मोटर साइकिल में बैठकर आये और पत्नी के गले से सोने का मंगलसुत्र लूट कर भाग गये है जिनकी लिखित सूचना के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 322/20 धारा 392 भादवि का पंजीकृत होकर विवेचना चौकी प्रभारी अखरी श्री गौरव पाण्डेय के द्वारा सम्पादित की जा रही है कारित लूट की घटना का अनावरण करने के लिये वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक रोहनियाँ एवं निरीक्षक अपराध श्री इन्द्रभूषण यादव के नेतृत्व मे दो टीमों का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज तथा मुखबीर की सूचना के आधार पर दिनांक 23/8/20 को अभियुक्त धर्मराज कुमार पुत्र छांगुर प्रसाद नि0 लहरतारा थाना मण्डुवाडीह जिला वाराणसी तथा अभियुक्त अजय मौर्या पुत्र राम जतन मौर्या नि0 कादीपुर थाना रोहनियाँ वाराणसी हाल पता (ससुराल) ग्राम उदेचनपुर थाना केराकत जिला जौनपुर को अभियुक्त धर्मराज कुमार के मामा के घर ग्राम झबरा थाना जंसा वाराणसी से समय करीब 11.30 बजे रात्रि में घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल अपाचे रंग सफेद न0 UP - 65 DR 3242 सहित तथा मंगलसुत्र की सोने की टूटी लड़ी जिसमें काली मोती लगी है बरामद किया गया।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगणों से कडाई पूर्वक पूछताछ करने पर बताया गया कि लूट की घटना को अंजाम देने के बाद हम दोनो महेश सेठ पुत्र रमेश सेठ नि0 केराकत थाना केराकत जिला जौनपुर के यहाँ मंगलसुत्र (पैंडेंट) को 29,000 रू0 में बेच दिया है जिसके बिक्री के बटावारे के रूपये जो हम दोनो के जामा तलाशी से 25,500/- रू0 मिले है वो उसी मंगलसुत्र बिक्री के रूपये है। पकड़े गये दोनो अभियुक्तो की निशादेही पर कस्बा केराकत थाना केराकत जिला जौनपुर के महेश सेठ के कब्जे से लूट की मंगलसुत्र (पैंडेंट) बरामद व महेश सेठ उपरोक्त को समय 03.00 बजे सुबह गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तगण धर्मराज कुमार तथा अजय मौर्या उपरोक्त बहुत ही शातिर किस्म के लुटेरे है अभियुक्त अजय मौर्या थाना मण्डुवाडीह के मु0अ0स0 473/19 धारा 392,411 भादवि व मु0अ0स0 494/19 धारा 392 भादवि के मुकदमें में वांछित फरार चल रहा है तीनो अभियुक्तो को लूट के माल के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार के संबंध में थाना रोहनियां पुलिस टीम द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही ह।

अभियुक्तगण का विवरण

1. धर्मराज कुमार पुत्र छांगुर प्रसाद उम्र लगभग 20 वर्ष नि0 लहरतारा थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
2. अजय मौर्या पुत्र राम जतन मौर्या उम्र करीब 40 वर्ष नि0 कादीपुर थाना रोहनियाँ हाल पता बेचनपुर केराकत (ससुराल) जौनपुर
3. महेश सेठ पुत्र रमेश सेठ नि0 केराकत पब्लिक इंटर कालेज थाना केराकत जनपद जौनपुर

बरामदगी का विवरण

1. एक अदद सोने का काली मोती मंगलसुत्र की लड़ी
2. एक अदद पेड्रूलम सोने का दोनो का वजन 22 ग्राम कीमती लगभग 1 लाख

3. पैडूलम बेचने का पैसा 25,500 रूपये
4. घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल UP -65 DR 3242 सफेद रंग अपाचे
5. चार अदद मोबाइल
6. जामा तलाशी का 900 रूपया

अपराधिक इतिहास

अभियुक्त धर्मराज कुमार का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 20/18 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
2.मु0अ0स0 473/19 धारा 392 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
3.मु0अ0स0 494/19 धारा 392 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
4.मु0अ0स0 67/20 धारा 392,506 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
5.मु0अ0स0 322/20 धारा 392,411,413 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी

अभियुक्त अजय मौर्या का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 129/19 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट थाना भेलूपुर वाराणसी
2.मु0अ0स0 60/2019 धारा 356 भादवि थाना शिवपुर वाराणसी
3.मु0अ0स0 473/19 धारा 392 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
4.मु0अ0स0 494/19 धारा 392 भादवि थाना मण्डुवाडीह वाराणसी
5.मु0अ0स0 322/20 धारा 392,411,413 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी

अभियुक्त महेश सेठ का अपराधिक इतिहास

1.मु0अ0स0 322/20 धारा 392,411,413 भादवि थाना रोहनियाँ वाराणसी

***गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम* –**

1 - एसएचओ परशुराम त्रिपाठी थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
2 - निरीक्षक क्राइम इन्द्रभूषण यादव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
3 - उ0नि0 गौरव पाण्डेय चौकी प्रभारी अखरी थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
4. उ0नि0 सचिन कुमार चौकी प्रभारी मातलदेई थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
5. का0 धर्मेद्र यादव थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
6. का0 अशोक मिश्रा थाना रोहनिया जनपद वाराणसी
7. हे0 का0 चालक रामकृपाल साही थाना रोहनिया जनपद वाराणसी

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

थाना रोहनियाँ, जनपद – वाराणसी
सौजन्य से :-
अनन्त हॉस्पिटल

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 152/ 2020 दिनांक: अगस्त, 24/2020

प्रेस नोट

थाना रामनगर पुलिस टीम द्वारा थाना रामनगर पर पंजीकृत मुकदमें से सम्बन्धित अभियुक्त गौतम चौरसिया गिरफ्तार

प्रभारी निरीक्षक रामनगर के कुशल नेतृत्व में थाना रामनगर पुलिस टीम उ0नि0 अभिनव श्रीवास्तव, मय हमराही के चेकिंग में मौजूद थे कि जरिये मूखबीर सूचना मिली की थाना रामनगर पर दहेज हत्या के अन्तर्गत पंजीकृत मुकदमे का अभियुक्त विश्वसुन्दरी पुल के नीचे चौराहे पर खड़े होकर कहीं भागने के फिराक मे है अगर जल्द किया जाये तो पकडे जा सकते है। इस सूचना पर एक व्यक्ति को उक्त स्थान से पकड़ लिया गया जिससे नाम पता पूछने पर अपना नाम गौतम चौरसिया पुत्र देवी प्रसाद चौरसिया निवासी म0नं0 2/959 बटाऊबीर रामनगर बताया जिसे कारण गिरफ्तारी बताते हुए आज दिनांक 24.08.2020 को समय करीब 08.00 बजे गिरफ्तार किया गया। आवश्यक विधिक कार्यवाही की गयी ।

पंजीकृत अभियोग:-

1. मु0अ0सं0 0127/2020 धारा 498A,304B भादवि0 व 3/ 4 डीपी एक्ट बनाम गौतम चौरसिया पुत्र देवी प्रसाद चौरसिया निवासी म0नं0 2/959 बटाऊबीर रामनगर जनपद – वाराणसी।

विवरण गिरफ्तार अभियुक्त:-

1. गौतम चौरसिया पुत्र देवी प्रसाद चौरसिया निवासी म0नं0 2/959 बटाऊबीर रामनगर जनपद – वाराणसी।

गिरफ्तारी/ बरामदगी टीम थाना रामनगर वाराणसी :-

1. उ0नि0 अभिनव श्रीवास्तव थाना रामनगर, वाराणसी।
2. हे0का0 मनोज कुमार सिंह थाना रामनगर, वाराणसी।

3. का0 गोविन्द गौड़ थाना रामनगर, वाराणसी।
4. का0 शशि कुमार थाना रामनगर, वाराणसी।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 153/ 2020 दिनांक: अगस्त, 24/2020

प्रेस नोट

थाना शिवपुर पुलिस द्वारा एक अभियुक्त रजत कुमार गिरफ्तार सम्बन्धित मु0अ0सं0 0457/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना शिवपुर वाराणसी व *एक अदद नाजायज देशी रिवाल्वर 32 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर बरामद*

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक व पुलिस अधीक्षक नगर व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी कैण्ट वाराणसी एंव थानाध्यक्ष शिवपुर के निर्देशन में जनपद वाराणसी में अपराधियो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान में दिनांक 23/08/2020 को मुखबिर कि सूचना पर, सेन्ट्रल जेल रोड़ सोनकर बस्ती मकान हरिओम त्रिपाठी के सामने से एक व्यक्ति को अवैध देशी रिवाल्वर के साथ पकड़ गया। पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछने पर अपना नाम रजत कुमार S/0 श्री अमरनाथ निवासी S-2/ 627A4K सेन्ट्रल जेल रोड़ (सोनकर बस्ती) गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष बताया जिसके कब्जे से एक अदद नाजायज देशी रिवाल्वर 32 बोर व 2 अदद जिंदा कारतूस 32 बोर है बरामद हुआ। अभियुक्त उपरोक्त को कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 23/08/2020 समय करीब 22.36 बजे गिरफ्तार किया गया। उक्त गिरफ्तार के संबंध में थाना शिवपुर पर मु0अ0सं0 0457/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

***आपराधिक इतिहास*:-**

- मु0अ0सं0 0457/2020 धारा 3/25 आयुध अधिनियम थाना शिवपुर वाराणसी।

बरामदगी माल –

- एक देशी *रिवाल्वर 32 बोर*
- दो अदद *जिंदा कारतूस 32 बोर*

अभियुक्त का नाम :-

- रजत कुमार S/0 श्री अमरनाथ निवासी S-2/ 627A4K सेन्ट्रल जेल रोड़ (सोनकर बस्ती) गिलट बाजार थाना शिवपुर वाराणसी जनपद वाराणसी उम्र करीब 30 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण:-

1- उ0नि0 प्रकाश कार्य वाहक चौकी प्रभारी गिलट बाजार शिवपुर वाराणसी।

2- हे0कां0 महेन्द्र प्रताप सिंह थाना शिवपुर वाराणसी।

3- कां0 अरशद खान थाना शिवपुर वाराणसी।

4- कां0 राजेश कुमार यादव थाना शिवपुर वाराणसी।

(पी0आर0सेल)

जनपद वाराणसी

वाराणसी पुलिस : आपकी अपनी पुलिस

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी

फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 154/ 2020 दिनांक: अगस्त, 24/2020

प्रेस नोट

थाना मिर्जामुराद पुलिस टीम की तत्परता से मात्र 24 घंटे में ही मु0अ0सं0 189/2020 धारा 363 IPC थाना मिर्जामुराद से सम्बन्धित बालक बरामद

दिनांक 23.08.2020 को एक बालक अपने दोस्तों के साथ ट्यूबवेल पर नहाने गया था और वहीं से वह गायब हो गया पूरी रात परिवार व गांव के लोग उस बालक को ढूंढने का प्रयास करते रहे परंतु बालक नहीं मिला। आज दिनांक 24.08.2020 को बालक के परिजनों द्वारा सूचना दी गयी जिसके आधार पर थाना मिर्जामुराद पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 189/20 धारा 363 आईपीसी दर्ज करके पुलिस की कई टीमें बालक की तलाश में लगाई गई। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाबालिक गुमशुदा के मामले में शीघ्र बरामदगी के निर्देश के क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के कुशल पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी बड़ागांव के कुशल नेतृत्व में *प्रभारी निरीक्षक थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी की टीम के द्वारा मात्र 24 घंटे में पुलिस ने बालक को राजातालाब सब्जी मंडी से बरामद करके परिजनों को सुपुर्द किया गया।*

बरामदगी करने वाली पुलिस टीम

1. प्रभारी निरीक्षक सुनील दत्त दुबे व उ0नि0 राधेश्याम सिंह थाना मिर्जामुराद जनपद वाराणसी।

(पी0आर0 सेल)
वाराणसी।

कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी
फ़ोन + 91-542-2502655/2502644, फैक्स-91-542-2501450, ईमेल-sspvns-up@nic.in, Facebook-policevaranasi

संख्या: पीआरओ 155/ 2020 दिनांक: अगस्त, 24/2020

प्रेस नोट

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, गैर जरुरी तौर से होटल/गेस्ट हाऊस/दुकानें खुली रखने वाले संचालकों, कालाबाजारी करने वालों व लॉकडाउन से सम्बन्धित नियमों की अवहेलना करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए आज दिनांक 24-08-2020 को विभिन्न थानों द्वारा कार्यवाही करते हुए *कुल 73 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-151 सीआरपीसी* के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार किया गया तथा *330 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा-188 चालानी रिपोर्ट व धारा-51 आपदा प्रबन्ध अधिनियम* के अन्तर्गत कार्यवाही की गयी। जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों, 14 बार्डर प्वाइंट व 49 पुलिस नाकों पर सघन चेकिंग अभियान चलाते हुए *कुल 1400 वाहनों का चालान, 04 वाहनों को सीज तथा 384 वाहनों से रु0-3,91,400/- समन शुल्क वसूल* किया गया।

जनपद वाराणसी में लॉकडाऊन के आदेश के अनुपालन के क्रम में वाराणसी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में अनावश्यक घूम रहे, व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती बरतते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक वाराणसी के आदेशानुसार आज दिनांक 24-08-2020 को जनपद वाराणसी लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले तथा बिना मास्क पहने घूम रहे व्यक्तियों के विरूद्ध अभियान चलाकर बिना मास्क धारण किये *कुल 2816 व्यक्तियों से रु0-1,97,400/- जुर्माना* जमा कराया गया।

(पी0आर0सेल)
जनपद वाराणसी